(8)

संख्या बी-3-4421/दस-89—100(9)-88

प्रेषक,

श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव,
बजट अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला जज एवं
सत्र न्यायाधीश तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई, 1989

विषय :—राज्य कर्मचारियों के लिये गृह निर्माण अग्रिम की योजना को उदार बनाया जाना ।

महोदय,

वित्त (लाय-व्ययक) अनुभाग-3

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-3-6518/दस-88—100(9)-88, दिनांक 8 दिसम्बर, 1988 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 5 में यह उल्लेख किया गया है कि जिन मामलों में पूर्व में गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि आंशिक अथवा पूर्णरूप से अवमुक्त की जा चुकी है, उनमें उदारीकृत व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त धनराशि नहीं स्वीकृत की जायेगी । शासन के सम्मुख कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें यह जानकारी चाही गई है कि जिन मामलों में उक्त शासनादेश के जारी होने से पूर्व राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है किन्तु स्वीकृत अग्रिम की कोई धनराशि उक्त तिथि से पूर्व आहरित नहीं की गई है, क्या उनमें उक्त शासनादेश की उदारीकृत व्यवस्था के अनुसार अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं ।

अत: उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में जिनमें शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 1988 के जारी होने से पूर्व राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है किन्तु स्वीकृत अग्रिम की कोई धनराशि उक्त तिथि से पूर्व आहरित नहीं की गई है, उन मामलों में पूर्व से निर्गत स्वीकृति आदेशों को संशोधित करते हुए प्रश्नगत उदारीकृत व्यवस्था के अनुसार अग्रिम स्वीकृत किये जा सकेंगे ।

भवदीय,

उमेश प्रसाद श्रीवास्तव,
बजट अधिकारी ।

संख्या बी-3-4421(1)/दस-89—100(9)-88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3—राज्यपाल सचिवालय ।
4—विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय ।
5—निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
6—वित्त (लेखा) अनुभाग-1 ।
7—वित्त (नियमावली कोष्ठक) अनुभाग (दो प्रतियों में) ।

आज्ञा से,

उमेश प्रसाद श्रीवास्तव,
बजट अधिकारी ।

पी. एस. यू. पी.—ए. पी. 55 सा0 वित्त—16-8-90—(1755) 1990—5.000 (हि0)